

# कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (माझिं) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवाये ३क(२)/अराज०/

954

/2022-23 दिनांक २१ मार्च, २०२३

## विज्ञप्ति / नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-२८/उ०३०से०च०३०/२०२० दिनांक १३ अक्टूबर, २०२० के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/२६२ २०२३ दिनांक ०३-०२-२०२३ द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन-४६००) नया वेतन मैट्रिक्स- ४४९००-१४२४००, लेबल-७ में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-१० में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित कांकोई कलेम/दावा मान्य नहीं होगा।

### ६० प्रतिशत सीधी भर्ती – विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

| क्र. सं. | अभ्यर्थी का नाम  | पिता/पति का नाम       | पता  | श्रेणी/उपश्रेणी | जन्मतिथि   | गृह जनपद  | उच्चतम् शैक्षिक योग्यता           | प्राप्तांक | पदस्थापित विद्यालय का नाम    |
|----------|------------------|-----------------------|--|-----------------|------------|-----------|-----------------------------------|------------|------------------------------|
| १        | २                | ३                     | ४  | ५               | ६          | ७         | ८                                 | ९          | १०                           |
| १        | गौरव सिंह तड़ागी | देवेन्द्र सिंह तड़ागी | लोअर मालरोड नियर पी०डब्लू०डी० चीफ आफिस सरकार की आली अल्मोड़ा | सामान्य         | १७.०७.१९९२ | अल्मोड़ा  | एम..एस.सी० जन्तु विज्ञान बी.एड.   | ७२.२५      | रा०उ०मा०वि० चायखान अल्मोड़ा  |
| २        | ललित जोशी        | दलाई राम जोशी         | ग्राम व पोस्ट खेतीखान जी०जी०आई०सी० खेतीखान के पास चम्पावत    | सामान्य         | २७.०३.१९९३ | चम्पावत   | एम..एस.सी० रसायन विज्ञान बी.एड.   | ७०.००      | रा०उ०मा०वि० रियांसी, चम्पावत |
| ३        | ओम प्रकाश जोशी   | श्री महेश चन्द्र जोशी | मकान नम्बर १६ ग्राम दीपाकोट पोस्ट भगोटी चौखुटिया अल्मोड़ा    | सामान्य         | ०१.०८.१९८६ | अल्मोड़ा  | एम..एस.सी० रसायन विज्ञान बी.एड.   | ६९.७५      | रा०इ०का० कलरौं अल्मोड़ा      |
| ४        | ज्योति पाठक      | बंशीधर जोशी           | विवेकानन्द कालोनी जी०आई०सी० रोड पोस्ट डिग्री कालेज पिथौरागढ़ | सामान्य-महिला   | ११.७.१९८७  | पिथौरागढ़ | एम..एस.सी० वनस्पति विज्ञान बी.एड. | ६९.७५      | रा०इ०का० दिगतोली पिथौरागढ़   |

(लीलाधर व्यास)  
मण्डलीय अपर निदेशक  
(माध्यमिक शिक्षा)  
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ ०२.....

पृष्ठसंख्या—3क(2)/अराज0/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 01— सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।  
 02— महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।  
 03— निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।  
 04— सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।  
 05— सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा0) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।  
 06— सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकरी।  
 07— सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।  
 08— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।  
 09— सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें—  
 (क)— अभ्यर्थी की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अर्हता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की भली—भौति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।  
 (ख)— अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।  
 (ग)— अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शापथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी/असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मा0 न्यायालय में कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत नहीं करेगा।  
 (घ)— अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली—2014(यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली—2019 में निहित प्राविधानों के अनुसार पद से सम्बन्धित संगत विषय (स0आ0एल0टी0—विज्ञान) हेतु नियमानुसार कर ली जाय—  
 (1)—भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि।  
 (2)—किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 की उपाधि।

## अथवा

(1)—एन0सी0ई0आर0टी0 के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड कोर्स (B.Sc.Ed) (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो।

(अभ्यर्थी को स0आ0एल0टी0—विज्ञान के पद पर नियुक्ति हेतु सी0टी0ई0टी0—2/यूटी0ई0टी0—2 की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है)

(ङ)— जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।

(च)— अभ्यर्थी की आयु 01-07-2020 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।

(छ)— निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

## प्रमाण पत्र

मैं ..... पद ..... विद्यालय ..... एतदद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त

समस्त विन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु0 ..... पद .....

..... विषय ..... को दिनांक ..... के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।


ह0—संस्थाध्यक्ष

पूरा नाम

पद एवं सील

10— सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो) प्रमाणित छायाप्रति सहित) रख्य के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम् फोटो, शपथ पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र 1—कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2—प्रशिक्षण योग्यता एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

11— कार्यालय आदेश पंजिका।

  
मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)  
कुमाऊँ मण्डल वैनिमिताल

## अनुबन्ध पत्र

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... सहायक अध्यापक ..... विद्यालय ..... एतदद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने उपरोक्त कार्यवाही द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करुंगा/करूंगी एवं सगे सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करुंगा/करूंगी।  
 प्रतिहस्ताक्षरित .....  
 संस्थाध्यक्ष .....  
 नाम .....  
 पदनाम .....  
 विद्यालय .....

# कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मार्गशी) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं० / सेवाये० ३क(२) / अराज० /

955

/ 2022-23 दिनांक २१ मार्च, 2023

## विज्ञाप्ति / नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-28 / उ०अ०से०च०आ० / २०२० दिनांक 13 अक्टूबर, २०२० के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक / २६२ २०२३ दिनांक ०३-०२-२०२३ द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना ९३००-३४८० ग्रेड वेतन-४६००) नया वेतन मैट्रिक्स- ४४९०-१४२४००, लेबल-७ में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-१० में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित का कोई क्लेम/दावा मान्य नहीं होगा।

### ६० प्रतिशत सीधी भर्ती – विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

| क्र. सं. | अभ्यर्थी का नाम | पिता/पि त का नाम          | पता   | श्रेणी/ उपश्रेणी                                | जन्मतिथि   | गृह जनपद | उच्चतम् शैक्षिक योग्यता         | प्राप्तांक | पदस्थापित विद्यालय का नाम       |
|----------|-----------------|---------------------------|---|---|------------|----------|---------------------------------|------------|---------------------------------|
| १        | २               | ३                         | ४   | ५   | ६          | ७        | ८                               | ९          | १०                              |
| १        | हिमांशु पाण्डे  | पूरन चन्द्र पाण्डे        | ग्राम पंत क्वैराली पोस्ट फल्याती बागेश्वर             | सामान्य   | १२.०१.१९९५ | बागेश्वर | एम..एस.सी० रसायन विज्ञान बी.एड. | ६९.००      | रा०इ०का० बदियाकोट बागेश्वर      |
| २        | नेहा जोशी       | मोहन चन्द्र जोशी          | आदर्श विहार कालोनी उद्यान स्कूल के पास चम्पावत        | सामान्य-महिला                                   | १५.२.१९९५  | चम्पावत  | एम..एस.सी० रसायन विज्ञान बी.एड. | ६९.००      | रा०उ०मा०वि० नीड़ चम्पवत         |
| ३        | आराधना भरड़ा    | बचे सिंह गड्डिया          | ग्राम व पोस्ट पन्द्रहपाली बागेश्वर                    | सामान्य   | १०.६.१९९५  | बागेश्वर | बी.एस.सी० बी. एड.               | ६८.५०      | रा०इ०का० बन्तोली, बागेश्वर      |
| ४        | महेन्द्र नाथ    | गणेश नाथ                  | ग्राम बड़ी जोग्यूड़ा पोस्ट दन्या जिला अल्मोड़ा        | अन्य पिछड़ा वर्ग १०४६७ / ३०.७.१९ भनोली अल्मोड़ा | ६.२.१९९४   | अल्मोड़ा | बी.एस.सी० बी. एड.               | ६८.२५      | रा०उ०मा०वि० कुनस्यारी, अल्मोड़ा |
| ५        | कमलेश त्रिपाठी  | त्रिनेत्र प्रसाद त्रिपाठी | मकान नम्बर सी०४० ४९ जस फार्म मुखानी हल्द्वानी नैनीताल | सामान्य   | ३.७.१९८६   | नैनीताल  | एम..एस.सी० रसायन विज्ञान बी.एड. | ६७.००      | रा०इ०का० बालातड़ी चम्पावत       |

(लीलाधर व्यास)  
मण्डलीय अपर निदेशक  
(माध्यमिक शिक्षा)  
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमसंख्या: पृष्ठ ०२.....

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
  - 02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
  - 03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
  - 04- सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।
  - 05- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा०) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
  - 06- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकरी।
  - 07- सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
  - 08- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
  - 09- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें-
- (क)- अभ्यर्थी की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अहंता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की भली-भौति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।
- (ख)- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षण अहंता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।
- (ग)- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी/असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मा० न्यायालय में कोई वाद/कलेम प्रस्तुत नहीं करेगा।
- (घ)- अभ्यर्थी की शैक्षिक अहंता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014(यथासंस्थाधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों के अनुसार पद से सम्बन्धित संगत विषय (स०आ०एल०टी०-विज्ञान) हेतु नियमानुसार कर ली जाय-
- (1)-भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि।
  - (2)-किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल०टी० डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी०एड० की उपाधि।

### अथवा

- (१)-एन०सी०ई०आर०टी० के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड कोर्स (B.Sc.Ed) (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो।  
(अभ्यर्थी को स०आ०एल०टी०-विज्ञान के पद पर नियुक्ति हेतु सी०टी०ई०टी०-२/य०टी०ई०टी०-२ की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है)
- (ङ)- जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।
- (च)- अभ्यर्थी की आयु ०१-०७-२०२० को न्यूनतम २१ वर्ष तथा अधिक से अधिक ४२ वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।
- (छ)- निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता ४० प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।
- उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

### प्रमाण पत्र

मैं ..... पद ..... विद्यालय ..... एतदद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त


समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु० ..... पद .....  
..... विषय ..... को दिनांक ..... के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह०-संस्थाध्यक्ष

पूरा नाम

पद एवं सील

- 10- सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के १५ दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम् फोटो, शपथ पत्र, मुख्य विकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजन्यपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र १-कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। २-प्रशिक्षण योग्यता एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)
- 11- कार्यालय आदेश पंजिका।

  
मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)  
कुमाऊँ मण्डल नीताल

### अनुबन्ध पत्र

- मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... सहायक अध्यापक ..... विद्यालय ..... एतदद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा/करूंगी एवं से सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी।  
..... प्रतिहस्ताक्षरित  
..... संस्थाध्यक्ष

# कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (माझीशी) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवाये ३क(२)/अराज०/

956

/2022-23 दिनांक २१ मार्च, २०२३

## विज्ञप्ति / नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-२८/उ०अ०से०च०आ०/२०२० दिनांक १३ अक्टूबर, २०२० के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/२६२ २०२३ दिनांक ०३-०२-२०२३ द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन-४६००) नया वेतन मैट्रिक्स-४४९००-१४२४००, लेबल-७ में उनके नाम के समुख स्तम्भ-१० में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अर्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित का कोई क्लेम/दावा मान्य नहीं होगा।

### 60 प्रतिशत सीधी भर्ती – विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

| क्र. सं. | अभ्यर्थी का नाम | पिता/पति का नाम     | पता  | श्रेणी/उपश्रेणी | जन्मतिथि   | गृह जनपद | उच्चतम् शैक्षिक योग्यता           | प्राप्तांक | पदस्थापित विद्यालय का नाम         |
|----------|-----------------|---------------------|--|-----------------|------------|----------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|
| 1        | 2               | 3                   | 4  | 5               | 6          | 7        | 8                                 | 9          | 10                                |
| 1        | अंजू जोशी       | कमलापति जोशी        | द्वारा-हरीश चन्द्र जोशी जोशी भवन वार्ड नम्बर-२ गाँधी नगर पोस्ट ऑफिस के पास लालकुँआ हल्द्वानी नैनीताल | सामान्य-महिला   | 01.02.1984 | नैनीताल  | एम..एस.सी० वनस्पति विज्ञान बी.एड. | 65.75      | रा०इ०का० नौला अल्मोड़ा            |
| 2        | नारायण सिंह     | हीरा सिंह           | 10 सिरोली गनाई चौखुटिया अल्मोड़ा   | सामान्य         | 12.6.1992  | अल्मोड़ा | एम..एस.सी० रसायन विज्ञान बी.एड.   | 65.75      | रा०इ०का० चित्रेश्वर अल्मोड़ा      |
| 3        | शिम्पी          | बलवन्त सिंह मियांन  | हाउस नम्बर-६/९२९ आनन्द बाग तल्ला गोरखपुर हल्द्वानी नैनीताल   | सामान्य-महिला   | 14.4.1989  | नैनीताल  | एम..एस.सी० वनस्पति विज्ञान बी.एड. | 65.25      | रा०इ०का० खूँट, अल्मोड़ा           |
| 4        | नवल सिंह        | मोहन सिंह           | अधिकारी रेस्टोरेंट द्वाराहाट अल्मोड़ा  | सामान्य         | 05.06.1991 | अल्मोड़ा | एम..एस.सी० रसायन विज्ञान बी.एड.   | 65.00      | रा०उ०मा०वि० कामाकनलगाँव, अल्मोड़ा |
| 5        | नीता पाण्डे     | लक्ष्मी कांत पाण्डे | रामपर रोड देवलचौड़ हल्द्वानी नैनीताल   | सामान्य-महिला   | 12.7.1989  | अल्मोड़ा | एम..एस.सी० वनस्पति विज्ञान बी.एड. | 64.75      | रा०उ०मा०वि० उपराड़ी अल्मोड़ा      |

(लीलाधर व्यास)  
मण्डलीय अपर निदेशक  
(माध्यमिक शिक्षा)  
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ ०२.....

पृ०सं० / सेवाएं-३क(2) / अराज० /

**12312-24**

प्रतिलिपि जिम्माकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 04- सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।
- 05- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा०) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
- 06- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकरी।
- 07- सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
- 08- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
- 09- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें—  
(क)- अभ्यर्थी की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अर्हता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की भली-भौति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।  
(ख)- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।  
(ग)- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी/असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मा० न्यायालय में कोई वाद/कलेम प्रस्तुत नहीं करेगा।  
(घ)- अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014(यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों के अनुसार पद से सम्बन्धित संगत विषय (स०आ०एल०टी०-विज्ञान) हेतु निम्नानुसार कर ली जाय—  
(1)-भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि।  
(2)-किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल०टी० डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी०एड० की उपाधि।

#### अथवा

- (1)-एन०सी०इ०आर०टी० के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड कोर्स (B.Sc.Ed) (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो।  
(अभ्यर्थी को स०आ०एल०टी०-विज्ञान के पद पर नियुक्ति हेतु सी०टी०इ०टी०-२/य०टी०इ०टी०-२ की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है)

(इ)- जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।

(च)- अभ्यर्थी की आयु 01-07-2020 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होती है।

(छ)- निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटी डाक से अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

#### प्रमाण पत्र

मैं.....पद.....विद्यालय.....एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु०.....पद.....विषय.....को दिनांक.....के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।


ह०-संस्थाध्यक्ष.....

पूरा नाम.....

पद एवं सील.....

- 10- सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति रखते ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम् फोटो, शपथ पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वारक्ष्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र १-कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। २-प्रशिक्षण योग्यता एन०सी०टी०इ० से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

11- कार्यालय आदेश पंजिका।

  
**मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)  
कुमाऊँ मण्डल चौनीताल**

#### अनुबन्ध पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....सहायक अध्यापक.....विद्यालय.....एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करुंगा/करूंगी एवं सगे सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करुंगा/करूंगी।  
प्रतिहस्ताक्षरित.....  
संस्थाध्यक्ष.....

# कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (माझी) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं० / सेवायें ३क(२) / अराज० /

१५७

२१ / २०२२-२३ दिनांक मार्च, 2023

## विज्ञप्ति / नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-२८ / उ०अ०से०च०आ० / २०२० दिनांक १३ अक्टूबर, २०२० के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक /२६२ २०२३ दिनांक ०३-०२-२०२३ द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन-४६००) नया वेतन मैट्रिक्स- ४४९००-१४२४००, लेबल-७ में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-१० में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित कार्यक्रम/दावा मान्य नहीं होगा।

### ६० प्रतिशत सीधी भर्ती – विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

| क्र. सं. | अभ्यर्थी का नाम | पिता/पर्ति का नाम     | पता  | श्रेणी/उपश्रेणी                              | जन्मतिथि   | गृह जनपद   | उच्चतम् शैक्षिक योग्यता           | प्राप्तांक | पदस्थापित विद्यालय का नाम        |
|----------|-----------------|-----------------------|--|--|------------|------------|-----------------------------------|------------|----------------------------------|
| १        | २               | ३                     | ४  | ५  | ६          | ७          | ८                                 | ९          | १०                               |
| १        | पूनम कन्याल     | श्याम सिंह कन्याल     | ग्राम काण्डा मानसिंह पोस्ट नारायणनगर डीडीहाट पिथौरागढ़     | सामान्य-महिला                                | २१.५.१९९०  | पिथौरागढ़  | बी.एस.सी० बी. एड.                 | ६४.५०      | रा०उ०मा०वि० कुमैयाचौड़ पिथौरागढ़ |
| २        | अंकित गोस्वामी  | गोविन्द गिरी गोस्वामी | ५२ मण्डल सेरा बागेश्वर                                     | अन्य पिछड़ा वर्ग ७६५२ / २९.११. २०१८ बागेश्वर | २१.६.१९९६  | बागेश्वर   | बी.एस.सी० बी. एड.                 | ६४.५०      | रा०उ०मा०वि० गडेरा बागेश्वर       |
| ३        | एकता            | एन०एस० चौहान          | श्यामपुरम कालोनी बाजपुर रोड काशीपुर उधमसिंहनगर             | सामान्य-महिला                                | २२.०७.१९८९ | उधमसिंहनगर | एम..एस.सी० रसायन विज्ञान बी.एड.   | ६४.२५      | रा०उ०मा०वि० पनुवाद्योखन अल्मोड़ा |
| ४        | रंजना           | रमेश चन्द्र उपाध्याय  | श्रीपुरम कालोनी ओल्ड आई०आई०आई० बरेली रोड हल्द्वानी नैनीताल | सामान्य-महिला                                | ०७.०७.१९९३ | अल्मोड़ा   | एम..एस.सी० वनस्पति विज्ञान बी.एड. | ६४.००      | रा०उ०मा०वि० झालडुंगरा अल्मोड़ा   |
| ५        | प्रदीप भट्ट     | जगदीश चन्द्र भट्ट     | ग्राम व पोस्ट पाटी चम्पावत                                 | सामान्य                                      | ५.७.१९९४   | चम्पावत    | एम..एस.सी० रसायन विज्ञान बी.एड.   | ६३.७५      | रा०इ०का० रमक, चम्पावत            |

(लीनाधर व्यास)  
मण्डलीय अपर निदेशक  
(माध्यमिक शिक्षा)  
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ ०२.....

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- ०१- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
  - ०२- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
  - ०३- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
  - ०४- सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।
  - ०५- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा०) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
  - ०६- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकरी।
  - ०७- सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
  - ०८- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
  - ०९- सम्बन्धित संस्थान्यक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें—  
(क)- अभ्यर्थी की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अहंता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की भली-भौति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह हाने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।  
(ख)- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षण अहंता तथा अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।  
(ग)- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी/असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मा० न्यायालय में कोई वाद/कलम प्रस्तुत नहीं करेगा।  
(घ)- अभ्यर्थी की शैक्षिक अहंता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014(यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों के अनुसार पद से सम्बन्धित संगत विषय (स०अ०एल०टी०-विज्ञान) हेतु निम्नानुसार कर ली जाय—
  - (१)-भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) बनस्पति विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि।
  - (२)-किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल०टी० डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी०एड० की उपाधि।

## अथवा

- (१)-एन०सी०इ०आर०टी० के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड कोर्स (B.Sc.Ed) (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) बनस्पति विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो।  
(अभ्यर्थी को स०अ०एल०टी०-विज्ञान के पद पर नियुक्ति हेतु सी०टी०इ०टी०-२/य०टी०इ०टी०-२ की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है)
- (ङ)- जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।  
(च)- अभ्यर्थी की आयु ०१-०७-२०२० को न्यूनतम २१ वर्ष तथा अधिक से अधिक ४२ वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होती है।  
(छ)- निःशक्तता की रिस्ति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता ४० प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व कां होना आवश्यक है।
- उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरकर्त्री के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

## प्रमाण पत्र


मैं ..... पद ..... विद्यालय ..... एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त विद्युओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वाचित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु..... पद.....  
विषय ..... को दिनांक ..... के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह०-संस्थान्यक.....

पूरा नाम.....

पद एवं सील.....

- १०— सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के १५ दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थान्यक के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम फोटो, शपथ पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र १-कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। २-प्रशिक्षण योग्यता एन०सी०टी०इ० से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)
- ११— कार्यालय आदेश पंजिका।

  
मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)  
कुमाऊँ मण्डल नीति संगठन

## अनुबन्ध पत्र

- मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... सहायक अध्यापक ..... विद्यालय ..... एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूँगा/करूँगी एवं सभी सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूँगा/करूँगी।  
प्रतिहस्ताक्षरित .....  
संस्थान्यक .....  
पदनाम .....  
विद्यालय .....

# कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं० / सेवायें ३क(२) / अराज० /

१५८


/ २०२२-२३ दिनांक २१ मार्च, २०२३

## विज्ञप्ति / नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-२८ / उ०अ०से०च०आ० / २०२० दिनांक १३ अक्टूबर, २०२० के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक /२६२ २०२३ दिनांक ०३-०२-२०२३ द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अन्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन-४६००) नया वेतन मैट्रिक्स- ४४९००-१४२४००, लेबल-७ में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-१० में अकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अरथाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अन्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित कांकोई क्लेम/दावा मान्य नहीं होगा।

### ६० प्रतिशत सीधी भर्ती – विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

| क्र. सं. | अन्यर्थी का नाम | पिता/पि त का नाम     | पता   | श्रेणी/ उपश्रेणी                                     | जन्मतिथि   | गृह जनपद     | उच्चतम् शैक्षिक योग्यता           | प्राप्तांक | पदस्थापित विद्यालय का नाम              |
|----------|-----------------|----------------------|---|--|------------|--------------|-----------------------------------|------------|--|
| १        | २               | ३                    | ४   | ५  | ६          | ७            | ८                                 | ९          | १०                                     |
| १        | कविता बेलाल     | राजेन्द्र सिंह बेलाल | ग्राम व पोस्ट ऐंचोली पिथौरागढ़  | सामान्य-महिला  | १५.०६.१९८८ | पिथौरागढ़    | एम..एस.सी० रसायन विज्ञान बी.एड.   | ६३.५०      | रा०उ०मा०वि० सिलोनी, पिथौरागढ़ औपबन्धिक |
| २        | दीप्ती पन्त     | मोहन चन्द्र पन्त     | द्वारा—श्री गिरीश चन्द्र पन्त पश्चिमी पोखरखाली रानीधारा रोड गोविन्द आश्रम के पास अल्मोड़ा | सामान्य-महिला  | ०१.०३.१९८९ | अल्मोड़ा     | एम..एस.सी० वनस्पति विज्ञान बी.एड. | ६२.७५      | रा०उ०मा०वि० धूरा अल्मोड़ा              |
| ३        | दर्शन बोरा      | बलवन्त सिंह बोरा     | बोरा निवास डाना गोलू मंदिर के पास कफड़खान अल्मोड़ा  | सामान्य  | १२.०९.१९९१ | अल्मोड़ा     | एम..एस.सी० जन्मु विज्ञान बी.एड.   | ६२.७५      | रा०इ०का० गैरखेत, अल्मोड़ा              |
| ४        | कल्याणी         | रनवीर सिंह बिष्ट     | बी०-४१६ १० एवेन्यू गर्ल सी०टी०-२ ग्रेटर नौएडा वैस्ट जिला गौतमबुद्ध नगर                    | सामान्य-महिला  | २२.१२.१९९१ | पौड़ी गढ़वाल | एम..एस.सी० वनस्पति विज्ञान बी.एड. | ६२.७५      | रा०इ०का० छड़ौली पिथौरागढ़              |
| ५        | पूजा गोस्वामी   | महेश प्रसाद गोस्वामी | विजय नगर अगस्त्यमुनी रुद्रप्रयाग  | अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला ८१०९ / २२.०७.२०१९ रुद्रप्रयाग | ३०.०६.१९९७ | रुद्रप्रयाग  | बी.एस.सी० बी. एड.                 | ६२.७५      | रा०इ०का० काण्डा, बागश्वर               |

(लोलाधर व्यास)  
  
 मण्डलीय अपर निदेशक  
  
 (माध्यमिक शिक्षा)  
 कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ ०२.....

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01— सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

02— महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

03— निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

04— सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।

05— सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा०) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।

06— सम्बन्धित वरिष्ठ कौशलिकरी।

07— सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।

08— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।

09— सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें—

(क)— अभ्यर्थी की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अहता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की भली-भौति जांच कर ली जाय। किंवित भी सन्देह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ख)— अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षण अहता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ग)— अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी/असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मा० न्यायालय में कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत नहीं करेगा।

(घ)— अभ्यर्थी की शैक्षिक अहता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014(यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों के अनुसार पद से सम्बन्धित संगत विषय (स०अ०एल०टी०-विज्ञान) हेतु नियमानुसार कर ली जाय—

(1)—भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि।

(2)—किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल०टी० डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी०एड० की उपाधि।

### अथवा

(1)—एन०सी०ई०आर०टी० के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड कोर्स (B.Sc.Ed) (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो।

(अभ्यर्थी को स०अ०एल०टी०-विज्ञान के पद पर नियुक्ति हेतु सी०टी०ई०टी०-२/य०टी०ई०टी०-२ की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है)

(ङ)— जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।

(च)— अभ्यर्थी की आयु 01-07-2020 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।

(छ)— निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताकरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

### प्रमाण पत्र

मैं.....पद.....विद्यालय.....एतदद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त

समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु.....पद.....

.....विषय.....को दिनांक.....के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।


ह०—संस्थाध्यक्ष.....

पूरा नाम.....

पद एवं सील.....

10— सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम फोटो, शपथ पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र 1—कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2—प्रशिक्षण योग्यता एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

11— कार्यालय आदेश पंजिका।

  
मण्डलीय अपार निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)  
कुमाऊँ मण्डल नियमित

### अनुबन्ध पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....सहायक अध्यापक.....विद्यालय.....एतदद्वारा

घोषणा करता हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूँगा/करूँगी एवं सगे सम्बन्धित द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूँगा/करूँगी।

प्रतिहस्ताकरित.....

संस्थाध्यक्ष.....

पदनाम.....विद्यालय.....

# कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (माझी) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवायें ३क(२)/अराज०/

959

/2022-23 दिनांक २१ मार्च, 2023

## विज्ञप्ति / नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित रनातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित रनातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-28/उ०आ०से०च०आ०/2020 दिनांक 13 अक्टूबर, 2020 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/262 2023 दिनांक 03-02-2023 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-रनातक वेतनक्रम (पुराना ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन-४६००) नया वेतन मैट्रिक्स- ४४९००-१४२४००, लेबल-७ में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-१० में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित का कोई क्लेम/दावा मान्य नहीं होगा।

### 60 प्रतिशत सीधी भर्ती – विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

| क्र. सं. | अभ्यर्थी का नाम  | पिता/पति का नाम    | पता   | श्रेणी/उपश्रेणी | जन्मतिथि   | गृह जनपद  | उच्चतम् शैक्षिक योग्यता           | प्राप्तांक | पदस्थापित विद्यालय का नाम         |
|----------|------------------|--------------------|---|-----------------|------------|-----------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|
| 1        | 2                | 3                  | 4   | 5               | 6          | 7         | 8                                 | 9          | 10                                |
| 1        | विजय जोशी        | जीवन चन्द्र जोशी   | 12-बी भद्रवासिया ८० फीट रोड सरन डेरी जोधपुर राजस्थान                          | सामान्य         | 20.04.1996 | अल्मोड़ा  | एम..एस.सी० रसायन विज्ञान बी.एड.   | 62.50      | रा०इ०का० खाटवे, अल्मोड़ा औपबन्धिक |
| 2        | कमलेश कुमार पन्त | गोविन्द बल्लभ पन्त | ग्राम बड़ैत पोस्ट बालगरी बेरीनाग पिथौरागढ़                                    | सामान्य         | 15.12.1990 | पिथौरागढ़ | बी.एस.सी० बी.एड.                  | 62.25      | रा०इ०का० बासबगड़ पिथौरागढ़        |
| 3        | सुमित विष्ट      | चन्दन सिंह विष्ट   | द्वारा-श्री के०एस० बिष्ट नरसिंह बाड़ी नियर पुलिस लाइन आफिसर्स कालोनी अल्मोड़ा | सामान्य         | 01.05.1993 | अल्मोड़ा  | एम..एस.सी० रसायन विज्ञान बी.एड.   | 62.25      | रा०उ०मा०वि० मसमोली, अल्मोड़ा      |
| 4        | पिंकी जोशी       | गोवर्धन जोशी       | इन्द्रपुरी गली नम्बर-५ ओल्ड आइ०टी०आई० तल्ली हल्द्वानी                         | सामान्य-महिला   | 01.05.1988 | अल्मोड़ा  | एम..एस.सी० रसायन विज्ञान बी.एड.   | 62.00      | रा०इ०का० तोल्यों, अल्मोड़ा        |
| 5        | गीता पाण्डेय     | उमेश पाण्डेय       | द्वारा-उमेश पाण्डे गोपीपुरम नियर बैराही जनरल स्टोर हल्दूचौड़ लालकुँआ नैनीताल  | सामान्य-महिला   | 25.05.1994 | पिथौरागढ़ | एम..एस.सी० वनस्पति विज्ञान बी.एड. | 62.00      | रा०उ०मा०वि० कौली पिथौरागढ़        |

(लोलाधर व्यास)  
मण्डलीय अपर निदेशक  
(माध्यमिक शिक्षा)  
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ ०२.....

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अधिकारी कार्यवाही हेतु प्रेषित—  
 01— सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।  
 02— महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।  
 03— निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।  
 04— सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।  
 05— सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा०) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।  
 06— सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।

- 07— सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।  
 08— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।

- 09— सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें—  
 (क)— अभ्यर्थी की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अर्हता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की भली—भीति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।  
 (ख)— अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।  
 (ग)— अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी/असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मा० न्यायालय में कोई वाद/कलेम प्रस्तुत नहीं करेगा।  
 (घ)— अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली—2014(यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली—2019 में निहित प्राविधानों के अनुसार पद से सम्बन्धित संगत विषय (स०अ०एल०टी०—विज्ञान) हेतु निम्नानुसार कर ली जाय—  
 (1)—भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि।  
 (2)—किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल०टी० डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी०एड० की उपाधि।

## अथवा

- (1)—एन०सी०इ०आर०टी० के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड कोर्स (B.Sc.Ed) (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो।  
 (अभ्यर्थी को स०अ०एल०टी०—विज्ञान के पद पर नियुक्ति हेतु सी०टी०इ०टी०—२/य०टी०इ०टी०—२ की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।)  
 (ङ)— जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।  
 (च)— अभ्यर्थी की आयु 01-07-2020 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।  
 (छ)— निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटी डाक से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

## प्रमाण पत्र

मैं.....पद.....विद्यालय.....एतदद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु.....पद.....विषय.....को दिनांक.....के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।


ह०—संस्थाध्यक्ष.....

पूरा नाम.....

पद एवं सील.....

- 10— सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साझे की प्रमाणित नवीनतम् फोटो, शपथ पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र 1—कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2—प्रशिक्षण योग्यता एन०सी०टी०इ० से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

- 11— कार्यालय आदेश पंजिका।

  
मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)  
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

## अनुबन्ध पत्र

- मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....सहायक अध्यापक.....विद्यालय.....एतदद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करुंगा/करूंगी एवं सगे सम्बन्धियों हस्ताक्षर.....नाम.....पदनाम.....विद्यालय.....संस्थाध्यक्षरित.....संस्थान.....

# कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (माठशि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवायें ३क(२)/अराज०/

960

/2022-23 दिनांक २१ मार्च, २०२३

## विज्ञप्ति / नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-28/उ०आ०स०च०आ०/2020 दिनांक 13 अक्टूबर, 2020 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/262 2023 दिनांक 03-02-2023 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन-४६००) नया वेतन मैट्रिक्स- ४४९००-१४२४००, लेबल-७ में उनके नाम के समुख रूपम्-१० में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित का कोई क्लेम/दावा मान्य नहीं होगा।

### 60 प्रतिशत सीधी भर्ती – विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

| क्र. सं. | अभ्यर्थी का नाम | पिता/पर्ति का नाम | पता  | श्रेणी/ उपश्रेणी | जन्मतिथि   | गृह जनपद  | उच्चतम् शैक्षिक योग्यता           | प्राप्तांक | पदस्थापित विद्यालय का नाम     |
|----------|-----------------|-------------------|--|------------------|------------|-----------|-----------------------------------|------------|-------------------------------|
| 1        | 2               | 3                 | 4  | 5                | 6          | 7         | 8                                 | 9          | 10                            |
| 1        | सीमा बरोलिया    | शिव सिंह बरोलिया  | 6/202 दुर्गा निवास शिव मंदिर बरसाती नहर के पास हल्द्वानी नैनीताल | सामान्य-महिला    | 5.7.1986   | पिथौरागढ़ | बी.एस.सी० बी.एड.                  | 61.75      | रा०उ०मा०वि० बिबियाड़, नैनीताल |
| 2        | ऐश्वर्या        | अमर सिंह          | सहज कालोनी कमलुवागांजा हल्द्वानी नैनीताल                         | सामान्य          | 2.06.1995  | पिथौरागढ़ | एम..एस.सी० वनस्पति विज्ञान बी.एड. | 61.75      | रा०इ०का० सेल, पिथौरागढ़       |
| 3        | संजय शर्मा      | गोपाल दत्त शर्मा  | ग्राम मनकंठपुर पवलगढ़ कालाढूंगी नैनीताल                          | सामान्य          | 15.05.1992 | नैनीताल   | एम..एस.सी० वनस्पति विज्ञान बी.एड. | 61.50      | रा०उ०मा०वि० बांसी, नैनीताल    |
| 4        | ममता गड्डिया    | काम सिंह          | सी०एस०सी० थराली चमोली  | सामान्य          | 10.2.1993  | चमोली     | एम..एस.सी० जन्मु विज्ञान बी.एड.   | 61.50      | रा०उ०मा०वि० रींची, नैनीताल    |
| 5        | तनुजा भट्ट      | हरिहर चन्द्र भट्ट | चन्दनी बनबसा चम्पावत   | सामान्य          | 22.5.1997  | चम्पावत   | एम..एस.सी० रसायन विज्ञान बी.एड.   | 61.50      | रा०उ०मा०वि० सिंगदा, चम्पावत   |

(लीलाधर व्यास)  
मण्डलीय अपर निदेशक  
(माध्यमिक शिक्षा)  
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02.....

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01- सभिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 04- सभिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।
- 05- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा०) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
- 06- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकरी।
- 07- सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
- 08- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
- 09- सम्बन्धित संस्थान्यक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें—  
(क)- अभ्यर्थी की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अर्हता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की भली-भौति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।  
(ख)- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।  
(ग)- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी/असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मा० न्यायालय में कोई वाद/कलेम प्रस्तुत नहीं करेगा।  
(घ)- अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014(यथासंस्थाधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधिकानों के अनुसार पद से सम्बन्धित संगत विषय (स०आ०एल०टी०-विज्ञान) हेतु निम्नानुसार कर ली जाय—  
(1)-भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि।  
(2)-किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल०टी० डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी०एड० की उपाधि।

## अथवा

- (1)-एन०सी०इ०आर०टी० के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड कोर्स (B.Sc.Ed) (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो।  
(अभ्यर्थी को स०आ०एल०टी०-विज्ञान के पद पर नियुक्ति हेतु सी०टी०इ०टी०-२/य०टी०इ०टी०-२ की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है)
- (ङ)- जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।
- (च)- अभ्यर्थी की आयु ०१-०७-२०२० को न्यूनतम २१ वर्ष तथा अधिक से अधिक ४२ वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।
- (छ)- निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता ४० प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना अवश्यक है।  
उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटी डाक से अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

## प्रमाण पत्र

मैं..... पद..... विद्यालय..... एतदद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु..... पद..... विषय..... को दिनांक..... के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

## ह०-संस्थान्यक

पूरा नाम.....  
पद एवं सील.....

- 10- सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के १५ दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यवाही सम्पादित कर ली है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थान्यक के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम् फोटो, शपथ पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र १-कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपाधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। २-प्रशिक्षण योग्यता एन०सी०टी०इ० से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

11- कार्यालय आदेश पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)  
कुमाऊँ मण्डल नीतीबृ

## अनुबन्ध पत्र

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... सहायक अध्यापक..... विद्यालय..... एतदद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने अभिलेख करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करुंगा/करुंगी एवं सगे सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करुंगा/करुंगी।  
प्रतिहस्ताक्षरित.....  
संस्थान्यक.....

हस्ताक्षर.....  
नाम.....  
पदनाम.....  
विद्यालय.....

# कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं० / सेवायें ३क(२) / अराज० /

961

/ 2022-23 दिनांक २१ मार्च, २०२३

## विज्ञप्ति / नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-28/उ०अ०स००च०आ०/२०२० दिनांक 13 अक्टूबर, २०२० के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/262 २०२३ दिनांक ०३-०२-२०२३ द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना ९३००-३४८० ग्रेड वेतन-४६००) नया वेतन मैट्रिक्स- ४४९००-१४२४००, लेबल-७ में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-१० में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अवधाव उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित का कोई क्लेम/दावा मान्य नहीं होगा।

### 60 प्रतिशत सीधी भर्ती – विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

| क्र. सं. | अभ्यर्थी का नाम | पिता / पति का नाम    | पता  | श्रेणी / उपश्रेणी                                    | जन्मतिथि   | गृह जनपद   | उच्चतम् शैक्षिक योग्यता           | प्राप्तांक | पदस्थापित विद्यालय का नाम             |
|----------|-----------------|----------------------|--|--|------------|------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| 1        | 2               | 3                    | 4  | 5  | 6          | 7          | 8                                 | 9          | 10                                    |
| 1        | अस्मिता रजवार   | इन्द्र चन्द्र रजवार  | जगदम्बा कालोनी स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास टकाना रोड पिथौरागढ़     | सामान्य  | 08.05.1989 | पिथौरागढ़  | एम..एस.सी० माइक्रोबायोलॉजी बी.एड. | 61.25      | रा०उ०मा०वि० भल्या, पिथौरागढ़          |
| 2        | भारती           | सुरेन्द्र कुमार      | आशफ नगर रुड़की हरिद्वार  | अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला ५१/१८.११.२०२० रुड़की हरिद्वार | 22.03.1993 | हरिद्वार   | बी.एस.सी० बी.एड.                  | 61.25      | रा०उ०मा०वि० कालीगाँव अल्मोड़ा         |
| 3        | किरन जोशी       | रमेश चन्द्र देवराड़ी | शांति नगर मयूर होटल के पास हल्द्वानी                             | सामान्य  | 10.5.1995  | नैनीताल    | एम..एस.सी० रसायन विज्ञान बी.एड.   | 61.25      | रा०इ०का० बिनोलीस्टेट, अल्मोड़ा        |
| 4        | पुष्पा नेही     | केसर सिंह            | हीरा नगर शीशम बाग फॉरेस्ट कम्पाउण्ड उत्थान मंच हल्द्वानी नैनीताल | सामान्य  | 05.06.1983 | उधमसिंहनगर | एम..एस.सी० रसायन विज्ञान बी.एड.   | 61.00      | रा०उ०मा०वि० दुकनौली अल्मोड़ा औपबन्धिक |
| 5        | सुदीप यादव      | मानसिंह यादव         | वार्ड नम्बर-१४ उजाला नगर बरेली रोड हल्द्वानी नैनीताल             | सामान्य  | 15.07.1992 | नैनीताल    | एम..एस.सी० रसायन विज्ञान बी.एड.   | 61.00      | रा०उ०मा०वि० कैड़ागाँव, नैनीताल        |

(लोलाधर व्यास)  
मण्डलीय अपर निदेशक  
(माध्यमिक शिक्षा)  
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ ०२.....

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01— संचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

02— महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

03— निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

04— संचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।

05— सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।

06— सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।

07— सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।

08— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।

09— सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें—  
(क)— अभ्यर्थी की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अर्हता से साबन्धित सभी प्रमाण पत्रों की भली-भौति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा

में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ख)— अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ग)— अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी/असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मा० न्यायालय में कोई वाद/वलम प्रस्तुत नहीं करेगा।

(घ)— अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014(यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों के अनुसार पद से सम्बन्धित संगत विषय (स०अ०एल०टी०-विज्ञान) हेतु निम्नानुसार कर ली जाय।

(1)—भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि।

(2)—किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल०टी० डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी०एड० की उपाधि।

#### अथवा

(1)—एन०सी०ई०आर०टी० के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड कोर्स (B.Sc.Ed) (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो।

(अभ्यर्थी को स०अ०एल०टी०-विज्ञान के पद पर नियुक्ति हेतु सौ०टी०ई०टी०-२/य०टी०ई०टी०-२ की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है)

(ड)— जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।

(च)— अभ्यर्थी की आयु ०१-०७-२०२० को न्यूनतम २१ वर्ष तथा अधिक से अधिक ४२ वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।

(छ)— निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता ४० प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटी डाक से अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

#### प्रमाण पत्र

मैं.....पद.....विद्यालय.....एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त

समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वार्षिक दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु.....पद.....

.....विषय.....को दिनांक.....के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।


ह०-संस्थाध्यक्ष.....

पूरा नाम.....

पद एवं सील.....

10— सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के १५ दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः श्री निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम फोटो, शपथ पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चिरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चिरित्र प्रमाण पत्र, जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र १—कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपाधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। २—प्रशिक्षण योग्यता एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की बिसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

11— कार्यालय आदेश पंजिका।

  
मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)  
कुमाऊँ मण्डल नियमाला

#### अनुबन्ध पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....सहायक अध्यापक.....विद्यालय.....एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा/करूंगी एवं सगे सम्बन्धियों

द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी।

प्रतिहस्ताक्षरित.....नाम.....

संस्थाध्यक्ष.....पदनाम.....विद्यालय.....

.....विद्यालय.....

# कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (माठशि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं० / सेवायें ३क(२) / अराज० /

962

/ 2022-23 दिनांक २१ मार्च, २०२३

## विज्ञप्ति / नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-28 / उ०अ०से०च०आ० / २०२० दिनांक 13 अक्टूबर, २०२० के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक / 262 २०२३ दिनांक ०३-०२-२०२३ द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन-४६००) नया वेतन मैट्रिक्स- ४४९००-१४२४००, लेबल-७ में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-१० में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक / अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित कारोई क्लेम/दावा मान्य नहीं होगा।

### 60 प्रतिशत सीधी भर्ती – विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

| क्र. सं. | अभ्यर्थी का नाम | पिता/पा-त का नाम  | पता  | श्रेणी/उपश्रेणी                                       | जन्मतिथि   | गृह जनपद    | उच्चतम् शैक्षिक योग्यता | प्राप्तांक | पदस्थापित विद्यालय का नाम          |
|----------|-----------------|-------------------|--|---|------------|-------------|-------------------------|------------|------------------------------------|
| 1        | 2               | 3                 | 4  | 5   | 6          | 7           | 8                       | 9          | 10                                 |
| 1        | गणेश सिंह बोरा  | देव सिंह बोरा     | आशीश भवन मल्ला घोरपटा मुनरस्यारी पिथौरागढ़           | अन्य पिछड़ा वर्ग-15123 / १ ०६.२०२० पिथौरागढ़          | ०८.१२.१९९६ | पिथौरागढ़   | बी.एस.सी० बी. एड.       | ६१.००      | रा०उ०मा०वि० रॉथी, पिथौरागढ़        |
| 2        | कु० रुचि सिंह   | शिशुपाल सिंह      | नारायण कोटी गुप्तकाशी केदारनाथ रोड ऊखीमठ रुद्रप्रयाग | अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला १७८१ / १०.१२. २०२० रुद्रप्रयाग | १२.४.१९९८  | रुद्रप्रयाग | बी.एस.सी० बी. एड.       | ६१.००      | रा०इ०का० बनलेख, बागेश्वर           |
| 3        | महिपाल सिंह     | खुशपाल सिंह बिष्ट | पतूरी डुंडा उत्तरकाशी                                | अन्य पिछड़ा वर्ग-७९८५ / ०८. ०१.२०१९ उत्तरकाशी         | १०.०४.१९९७ | उत्तरकाशी   | बी.एस.सी० बी. एड.       | ६०.५०      | रा०इ०का० भिंगराड़ा चम्पावत         |
| 4        | कु० अमीषा       | यशपाल सिंह राणा   | भण्डारी भवन साई मंदिर क पास उत्तरकाशी                | अन्य पिछड़ा वर्ग-९८६४ / ३०. १०.२०१९ उत्तरकाशी         | ३०.६.१९९८  | उत्तरकाशी   | बी.एस.सी० बी. एड.       | ६०.५०      | रा०इ०का० कालनूदेहोली, अल्मोड़ा     |
| 5        | खिलानन्द        | घनश्याम           | ग्राम डुंगराकोट पोस्ट मलाकोट पाटी चम्पावत            | ई०डब्लू०एस०-२७१ / १७.०६. २०२० पाटी चम्पावत            | १७.०४.१९८२ | चम्पावत     | एम.ए. एजूकेशन बी. एड.   | ६०.२५      | रा०उ०मा०वि० बांस, चम्पावत औपबन्धिक |

(लीलाधर व्यास)  
मण्डलीय अपर निदेशक  
(माध्यमिक शिक्षा)  
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ ०२.....

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

०१— सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

०२— महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

०३— निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

०४— सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।

०५— सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा०) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।

०६— सम्बन्धित वित्त अधिकारी।

०७— सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।

०८— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।

०९— सम्बन्धित संस्थानाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें—  
(क) अभ्यर्थी की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अर्हता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की भली-भौति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ख) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ग) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी/असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मा० न्यायालय में कोई वाद/वलेम प्रस्तुत नहीं करेगा।

(घ) अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-२०१४ (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-२०१९ में निहित प्राविधानों के अनुसार पद से सम्बन्धित संगत विषय (स०अ०एल०टी०-विज्ञान) हेतु निम्नानुसार कर ली जाय—

(१) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि।

(२) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल०टी० डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से वी०एड० की उपाधि।

#### अथवा

(१) एन०सी०ई०आर०टी० के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड कोर्स (B.Sc.Ed) (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो।

(अभ्यर्थी को स०अ०एल०टी०-विज्ञान के पद पर नियुक्त हेतु सी०टी०ई०टी०-२/य०टी०ई०टी०-२ की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है)

(ङ) जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्धारित किया गया हो।

(च) अभ्यर्थी की आयु ०१-०७-२०२० को न्यूनतम २१ वर्ष तथा अधिक से अधिक ४२ वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छू देय होगी।

(छ) निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता ४० प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

#### प्रमाण पत्र

मैं.....पद.....विद्यालय.....एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त

समस्त विन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु०.....पद.....

विषय.....को दिनांक.....के पूर्वान्ह/अपराह्न में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।


ह०-संस्थानाध्यक्ष

पूरा नाम.....

पद एवं सील.....

१०— सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के १५ दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्थः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थानाध्यक्ष के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो) प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साझज की प्रमाणित नवीनतम् फोटो, शपथ पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र १-कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र १-कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। २-प्रशिक्षण योग्यता एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

११— कार्यालय आदेश पंजिका।

  
मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)  
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

#### अनुबन्ध पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....सहायक अध्यापक.....विद्यालय.....एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करुंगा/करुंगी एवं सगे सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करुंगा/करुंगी।  
प्रतिहस्ताक्षरित.....  
संस्थानाध्यक्ष.....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

विद्यालय.....

# कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (माझीशो) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं० / सेवायें ३क(२) / अराज० /

963

/ 2022-23 दिनांक २१ मार्च, 2023

## विज्ञप्ति / नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-28 / उ०अ०स०च०आ० / 2020 दिनांक 13 अक्टूबर, 2020 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक / 262 2023 दिनांक 03-02-2023 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन-४६००) नया वेतन मैट्रिक्स- ४४९००-१४२४००, लेबल-७ में उनके नाम के समुख स्तम्भ-१० में अकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित कार्यों को लेम/दावा मान्य नहीं होगा।

### 60 प्रतिशत सीधी भर्ती – विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

| क्र. सं. | अभ्यर्थी का नाम  | पिता/पति का नाम    | पता  | श्रेणी/उपश्रेणी                                 | जन्मतिथि   | गृह जनपद     | उच्चतम् शैक्षिक योग्यता     | प्राप्तांक | पदस्थापित विद्यालय का नाम        |
|----------|------------------|--------------------|--|---|------------|--------------|-----------------------------|------------|----------------------------------|
| 1        | 2                | 3                  | 4  | 5   | 6          | 7            | 8                           | 9          | 10                               |
| 1        | नवीन चन्द्र जोशी | जगदीश चन्द्र जोशी  | ग्राम व पोस्ट बिरगुल चम्पावत                                     | ई०डब्लू०ए०स०-२१५ / २०.११. २०२० चम्पावत          | 25.06.1997 | चम्पावत      | बी.एस.सी० बी. एड.           | 60.25      | रा०इ०का० बिनवालगाँव, चम्पावत     |
| 2        | अनिल सिंह बिष्ट  | बलबीर सिंह बिष्ट   | ग्राम महरगाँव पोस्ट रैंका टिहरी गढ़वाल                           | अन्य पिछड़ा वर्ग-८४७० / ३०. ८.२०१९ टिहरी गढ़वाल | 22.05.1992 | टिहरी गढ़वाल | एम.ए.राजनीति शास्त्र बी.एड. | 60.00      | रा०इ०का० गढ़खेत, बागेश्वर        |
| 3        | आरती चौहान       | श्री जय सिंह चौहान | ट्रांजिट हास्टिल विकास भवन लदारी के पास पोस्ट जोस्यूडा उत्तरकाशी | अन्य पिछड़ा वर्ग-५१६५ / १६. ०३.२०१९ उत्तरकाशी   | 05.02.1996 | उत्तरकाशी    | बी.एस.सी० बी. एड.           | 60.00      | रा०इ०का० सिलोरमहादेव, अल्मोड़ा   |
| 4        | प्राची मैठाणी    | जी०सी० मैठाणी      | ग्राम कनसैण तहसील भटवाडी पोस्ट जोस्यूडा उत्तरकाशी                | अन्य पिछड़ा वर्ग-६५७ / २८. ११.२०२० उत्तरकाशी    | 01.07.1996 | उत्तरकाशी    | बी.एस.सी० बी. एड.           | 60.00      | रा०उ०मा०वि० डमरा, अल्मोड़ा       |
| 5        | प्रमोद कुमार     | बिशन राम           | ग्राम भुनरा पोस्ट जोस्यूडा धारी नैनीताल                          | अनु०जाति ४१८ / ४.८.२००३ नैनीताल                 | 02.7.1989  | नैनीताल      | बी.एस.सी० बी. एड.           | 58.75      | रा०उ०मा०वि० कजीनापुनौली, चम्पावत |

(लीलाधर व्यास)  
मण्डलीय अपर निदेशक  
(माध्यमिक शिक्षा)  
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ ०२.....

प्रतिलिपि निर्मांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01— सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 02— महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 03— निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 04— सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।
- 05— सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा०) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
- 06— सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 07— सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
- 08— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
- 09— सम्बन्धित संस्थान्यक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें—  
(क)— अभ्यर्थी की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अर्हता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की भली-भौति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।  
(ख)— अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।  
(ग)— अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी/असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मा० न्यायालय में कोई वाद/कलेम प्रस्तुत नहीं करेगा।  
(घ)— अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014(यथांसंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों के अनुसार पद से सम्बन्धित संगत विषय (स०आ०एल०टी०-विज्ञान) हेतु निम्नानुसार कर ली जाय—  
(1)—भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि।  
(2)—किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल०टी० डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी०एड० की उपाधि।

#### अथवा

- (1)—एन०सी०इ०आर०टी० के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड कोर्स (B.Sc.Ed) (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो।  
(अभ्यर्थी को स०आ०एल०टी०-विज्ञान के पद पर नियुक्ति हेतु सी०टी०इ०टी०-२/य०टी०इ०टी०-२ की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है)
- (इ)— जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।
- (च)— अभ्यर्थी की आयु 01-07-2020 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।
- (छ)— निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।  
उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटी डाक से अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

#### प्रमाण पत्र

मैं.....पद.....विद्यालय.....एतदद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु०.....पद.....विषय.....को दिनांक.....के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।


ह०—संस्थान्यक

पूरा नाम.....

पद एवं सील.....

- 10— सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थान्यक के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम् फोटो, शपथ पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वारक्ष्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र 1—कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2—प्रशिक्षण योग्यता एन०सी०टी०इ० से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

11— कार्यालय आदेश पंजिका।

  
मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)  
कुमाऊँ मण्डल नियमाला

#### अनुबन्ध पत्र

- मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....सहायक अध्यापक.....विद्यालय.....एतदद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करुंगा/करूंगी एवं सगे सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करुंगा/करूंगी।  
प्रतिहस्ताक्षरित.....  
संस्थान्यक.....
- पदान्माला.....  
पदनाम.....  
विद्यालय.....

# कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (माझीशो) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवाये ३क(२)/अराज०/

964

/2022-23 दिनांक २१ मार्च, २०२३

## विज्ञप्ति / नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-28 / उ०अ०से०च०५०/२०२० दिनांक 13 अक्टूबर, २०२० के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/262 २०२३ दिनांक ०३-०२-२०२३ द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन-४६००) नया वेतन मैट्रिक्स- ४४९००-१४२४००, लेबल-७ में उनके नाम के समुख स्तम्भ-१० में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित का कोई क्लोस/दावा मान्य नहीं होगा।

### 60 प्रतिशत सीधी भर्ती – विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

| क्र. सं. | अभ्यर्थी का नाम | पिता/पति का नाम    | पता   | श्रेणी/उपश्रेणी                               | जन्मतिथि   | गृह जनपद | उच्चतम् शैक्षिक योग्यता         | प्राप्तांक | पदस्थापित विद्यालय का नाम    |
|----------|-----------------|--------------------|---|---|------------|----------|---------------------------------|------------|------------------------------|
| 1        | 2               | 3                  | 4   | 5   | 6          | 7        | 8                               | 9          | 10                           |
| 1        | तुलसी दास भट्ट  | जगदीश चन्द्र भट्ट  | गरगड़ी मल्ली झाड़गाँव धारी नैनीताल                              | ई०डूल०ए०स०-३६९/२९.९.२०२० धारी नैनीताल         | ०९.०६.१९८७ | नैनीताल  | एम..एस.सी० जन्मु विज्ञान बी.एड. | ५८.००      | रा०उ०मा०वि० भद्रकोट, नैनीताल |
| 2        | अनुपम सिंह      | अब्बल सिंह         | ग्राम व पोस्ट आली वाया लंगासू कर्णप्रयाग चमोली                  | ई०डूल०ए०स०-५३०/०६.११.२०२० पोखरी चमोली         | २४.९.१९८७  | चमोली    | एम..एस.सी० रसायन विज्ञान बी.एड. | ५८.००      | रा०इ०का० पांगला, पिथौरांगढ़  |
| 3        | ममता जोशी       | ललित मोहन उपाध्याय | द्वारा-विपिन चन्द्र जोशी सावल्दे वैस्ट सेमलखलिया रामनगर नैनीताल | ई०डूल०ए०स०-महिला ६६२/२४.९.२०१९ रामनगर नैनीताल | १७.०७.१९८९ | नैनीताल  | बी.एस.सी० बी.एड.                | ५८.००      | रा०इ०का० कौसानी, बागेश्वर    |
| 4        | राकेश सिंह      | दरवान सिंह         | ग्राम पज्याना पोस्ट गैरसैण चमोली                                | ई०डूल०ए०स०-३९०/२९.६.२०२० गैरसैण               | २०.०३.१९९१ | चमोली    | बी.एस.सी० बी.एड.                | ५८.००      | रा०इ०का० पांगू पिथौरांगढ़    |

(लीलाधर व्यास)  
मण्डलीय अपर निदेशक  
(माध्यमिक शिक्षा)  
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ ०२.....

- प्रतिलिपि निर्मांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- ०१- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
  - ०२- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
  - ०३- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
  - ०४- सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयाग देहरादून।
  - ०५- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी (मा०) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
  - ०६- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
  - ०७- सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
  - ०८- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।

०९- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें—  
(क)- अभ्यर्थी की शैक्षिक/ प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अर्हता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की भली—भौति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ख)- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/ प्रशिक्षण अर्हता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/ विश्वविद्यालय/ संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ग)- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी/ असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मा० न्यायालय में कोई वाद/ कलेम प्रस्तुत नहीं करेगा।

(घ)- अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-२०१४(यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-२०१९ में निहित प्राविधानों के अनुसार पद से सम्बन्धित संगत विषय (स०आ०एल०टी०-विज्ञान) हेतु नियमानुसार कर ली जाय—

(१)-भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि।

(२)-किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/ महाविद्यालय से एल०टी० डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी०एड० की उपाधि।

#### अथवा

(१)-एन०सी०इ०आर०टी० के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड कोर्स (B.Sc.Ed) (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो।

(अभ्यर्थी को स०आ०एल०टी०-विज्ञान के पद पर नियुक्ति हेतु सी०टी०इ०टी०-२/ य०टी०इ०टी०-२ की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है)

(ङ)- जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/ स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।

(च)- अभ्यर्थी की आयु ०१-०७-२०२० को न्यूनतम २१ वर्ष तथा अधिक से अधिक ४२ वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।

(छ)- निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता ४० प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

उपरोक्त विधा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/ अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/ सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

#### प्रमाण पत्र

मैं..... पद..... विद्यालय..... एतद्वारा घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त विन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/ अभ्यर्थिनी श्री/ श्रीमती/ कु.पद..... पद.....  
विषय..... को दिनांक..... के पूर्वान्ह/ अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।


ह०-संस्थाध्यक्ष.....

पूरा नाम.....

पद एवं सील.....

१०- सम्बन्धित अभ्यर्थी/ अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के १५ दिन के भीतर अपने तैनाती के रथान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निधारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/ अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/ अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम फोटो, शपथ पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वारथ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चित्रित प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चित्रित प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/ पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/ राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र १-कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपाधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। २-प्रशिक्षण योग्यता एन०सी०टी०इ० से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/ अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसर्गति/ अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

११- कार्यालय आदेश पंजिका।

  
मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)  
कुमाऊँ मण्डल नेतृत्वाल

#### अनुबन्ध पत्र

मैं..... पुत्र/ पुत्री/ पत्नी श्री..... सहायक अध्यापक..... विद्यालय..... एतद्वारा घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि मैंने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूँगा/ करूँगी। प्रतिहस्ताक्षरित.....  
संस्थाध्यक्ष.....

# कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (माठशि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवायें ३क(२)/अराज०/

965

/2022-23 दिनांक २१ मार्च, 2023

## विज्ञप्ति / नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-28/उ०आ०स००च०आ०/2020 दिनांक 13 अक्टूबर, 2020 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/262 2023 दिनांक 03-02-2023 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित का कोई क्लेम/दावा मान्य नहीं होगा।

### 60 प्रतिशत सीधी भर्ती – विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

| क्र. सं. | अभ्यर्थी का नाम | पिता/पर्ति का नाम | पता   | श्रेणी / उपश्रेणी                           | जन्मतिथि   | गृह जनपद  | उच्चतम् शैक्षिक योग्यता            | प्राप्तांक | पदस्थापित विद्यालय का नाम      |
|----------|-----------------|-------------------|---|---|------------|-----------|------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1        | 2               | 3                 | 4   | 5   | 6          | 7         | 8                                  | 9          | 10                             |
| 1        | ईश्वरी          | शिवराज            | ग्राम रत्यूड़ा पोस्ट ख्वांकोट कनालीछीना पिथौरागढ़                     | अनु०जाति-महिला 338 / 19.8.2016 पिथौरागढ़    | 22.5.1995  | पिथौरागढ़ | बी.एस.सी० बी. एड.                  | 57.50      | रा०इ०का० चौरपाल, पिथौरागढ़     |
| 2        | नेहा            | गोपाल स्वरूप आर्य | मकान नम्बर-83 ए जवाहर ज्योति दमुवाढुंगा काठगदोम हल्द्वानी नैनीताल     | अनु०जाति-महिला 828 / 26.6.2006 पिथौरागढ़    | 14.10.1995 | पिथौरागढ़ | एम..एस.सी० वनस्पति विज्ञान बी. एड. | 57.00      | रा०इ०का० मुक्तेश्वर, नैनीताल   |
| 3        | कोमल निखुर्पा   | भगत सिंह निखुर्पा | द्वारा-उत्तम सिंह जंगपांगी सैनिक कालोनी मल्ली बमौरी हल्द्वानी नैनीताल | अनु०जनजाति- महिला 114 / 22.4.2013 पिथौरागढ़ | 30.5.1991  | पिथौरागढ़ | एम..एस.सी० वनस्पति विज्ञान बी. एड. | 55.75      | रा०इ०का० सौड नैनीताल           |
| 4        | पूनम लता पन्त   | महेशा नन्द पन्त   | 4/986 झॉ कालोनी शिवालय मंदिर के पास पन्तनगर उधमसिंहनगर                | सामान्य-डी०एफ० एफ० 04 / 08.6.2004 बागेश्वर  | 31.12.1984 | बागेश्वर  | एम..एस.सी० वनस्पति विज्ञान बी. एड. | 55.50      | रा०इ०का० देवतोली, बागेश्वर     |
| 5        | मनोज कुमार      | हरि प्रसाद        | कठायत बाड़ा पी०जी० कालेज के पास बागेश्वर                              | अनु०जाति-268 / 10.7.2013 कपकोट बागेश्वर     | 19.7.1996  | बागेश्वर  | एम..एस.सी० जन्तु विज्ञान बी.एड.    | 55.50      | रा०उ०मा०वि० नीड़नगेला बागेश्वर |

(लीलाधर व्यास)  
मण्डलीय अपर निदेशक  
(माध्यमिक शिक्षा)  
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02.....

पृ०सं० / सेवाएं-३क(२) / अराज०/

12424-36

प्रतिलिपि निमांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त-

- 01— सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 02— महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 03— निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 04— सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।
- 05— सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा०) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
- 06— सम्बन्धित वरिष्ठ कोषधिकरी।
- 07— सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
- 08— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
- 09— सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें—  
(क) अभ्यर्थी की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अर्हता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की भली-भाँति जांच कर ली जाय। किंवित भी सन्देह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।
- (ख) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।
- (ग) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शापथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी/असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मा० न्यायालय में कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत नहीं करेगा।
- (घ) अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014(यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों के अनुसार पद से सम्बन्धित संगत विषय (स०अ०एल०टी०-विज्ञान)  
हेतु निमानुसार कर ली जाय—  
(१) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि।  
(२) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल०टी० डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी०एड० की उपाधि।

## अथवा

- (१) एन०सी०ई०आर०टी० के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड कोर्स (B.Sc.Ed) (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो।  
(अभ्यर्थी को स०अ०एल०टी०-विज्ञान के पद पर नियुक्ति हेतु सी०टी०ई०टी०-२/य०टी०ई०टी०-२ की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है)
- (ङ) जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो। एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।
- (च) अभ्यर्थी की आयु ०१-०७-२०२० को न्यूनतम २१ वर्ष तथा अधिक से अधिक ४२ वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।
- (छ) निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता ४० प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है। उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरकर्त्री के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

## प्रमाण पत्र

मैं.....पद.....विद्यालय.....एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दरतावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कृ०.....पद.....विषय.....को दिनांक.....के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

५०—संस्थाध्यक्ष.....

पूरा नाम.....

पद एवं सील.....

- 10— सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के १५ दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम् फोटो, शापथ पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास स्थान पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र १—कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। २—प्रशिक्षण योग्यता एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक संत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)
- 11— कार्यालय आदेश पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)  
कुमाऊँ मण्डल नीतील

## अनुबन्ध पत्र

- मैं.....पत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....सहायक अध्यापक.....विद्यालय.....एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने समाचार द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूँगा/करूँगी एवं सगे सम्बन्धिये हस्ताक्षर.....नाम.....पदनाम.....विद्यालय.....द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूँगा/करूँगी। प्रतिहस्ताक्षरित.....संस्थाध्यक्ष.....

# कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं० / सेवायें ३क(२) / अराज० /

१६६  
विज्ञप्ति / नियुक्ति

/ 2022-23 दिनांक २१ मार्च, 2023

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-28/उ०अ०स०च०आ०/२०२० दिनांक 13 अक्टूबर, 2020 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/262 2023 दिनांक 03-02-2023 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन-४६००) नया वेतन मैट्रिक्स-४४९००-१४२४००, लेबल-७ में उनके नाम के समुख स्तम्भ-१० में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित का कोई क्लेम/दावा मान्य नहीं होगा।

## 60 प्रतिशत सीधी भर्ती – विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

| क्र. सं. | अभ्यर्थी का नाम | पिता/पि त का नाम  | पता  | श्रेणी/ उपश्रेणी                          | जन्मतिथि   | गृह जनपद  | उच्चतम् शैक्षिक योग्यता           | प्राप्तांक | पदस्थापित विद्यालय का नाम    |
|----------|-----------------|-------------------|--|---|------------|-----------|-----------------------------------|------------|------------------------------|
| 1        | 2               | 3                 | 4  | 5   | 6          | 7         | 8                                 | 9          | 10                           |
| 1        | विजय कुमार      | गोपाल राम         | मल्ला बापरु बाराकोट चम्पावत  | अनु०जाति-३०९/०९.१०.२००९ बाराकोट चम्पावत   | १३.०१.१९९५ | चम्पावत   | बी.एस.सी० बी.एड.                  | ५४.५०      | रा०इ०का० मडलक, चम्पावत       |
| 2        | उर्मिला रायपा   | बहादुर सिंह रायपा | नयाल सदन नियर रेशम बाग गैस गोदाम रोड कुसुम खेड़ा हल्द्वानी नैनीताल | अनु०जनजाति-५४७/८.७.२०११ धारचूला पिथौरागढ़ | २०.७.१९९०  | पिथौरागढ़ | एम..एस.सी० जन्मू विज्ञान बी.एड.   | ५३.७५      | रा०इ०का० कालिका, पिथौरागढ़   |
| 3        | विमल किशोर      | गिरीश प्रसाद      | ग्राम भिनगड़ी पोस्ट गौलचोरा पिथौरागढ़                              | अनु०जाति-८८६/२७.०७.२००९ पिथौरागढ़         | २९.६.१९९३  | पिथौरागढ़ | बी.एस.सी० बी.एड.                  | ५३.५०      | रा०इ०का० धामीगाँव, पिथौरागढ़ |
| 4        | पंकज कुमार      | मोहन राम          | हाउस नम्बर-२२ ग्राम सिरोली पोस्ट कमड गंगोलीहाट पिथौरागढ़           | अनु०जाति-४८५१/२८.१२.२०१८ पिथौरागढ़        | २८.७.१९९३  | पिथौरागढ़ | बी.एस.सी० बी.एड.                  | ५३.५०      | रा०इ०का० चिटगल, पिथौरागढ़    |
| 5        | मनीषा कुमारी    | गिरीश राम         | एम०इ०एस० कालोनी सी०डब्ल००५० हिल्स भरडकटिया पिथौरागढ़               | अनु०जाति-महिला ४६२२/२४.०७.२०१६ पिथौरागढ़  | १४.९.१९९३  | पिथौरागढ़ | एम..एस.सी० वनस्पति विज्ञान बी.एड. | ५३.२५      | रा०इ०का० पव्वाधार, पिथौरागढ़ |

(लोलाधर व्यास)  
मण्डलीय अपर निदेशक  
(माध्यमिक शिक्षा)  
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ ०२.....

प्रतिलिपि निर्माकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01- संचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
  - 02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
  - 03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
  - 04- सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।
  - 05- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा०) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
  - 06- सम्बन्धित वरिष्ठ कौशधिकरी।
  - 07- सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
  - 08- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
  - 09- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें-
- (क)- अभ्यर्थी की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अहंता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की भली-भौति जांच कर ली जाय। किंवित भी सन्देह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।
- (ख)- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षण अहंता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।
- (ग)- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी/असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मा० न्यायालय में कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत नहीं करेगा।
- (घ)- अभ्यर्थी की शैक्षिक अहंता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014(यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों के अनुसार पद से सम्बन्धित संगत विषय (स०अ०एल०टी०-विज्ञान) हेतु निम्नानुसार कर ली जाय-
- (१)-भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि।
  - (२)-किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल०टी० डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी०एड० की उपाधि।

#### अथवा

- (१)-एन०सी०ई०आर०टी० के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड कोर्स (B.Sc.Ed) (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो।  
 (अभ्यर्थी को स०अ०एल०टी०-विज्ञान के पद पर नियुक्ति हेतु सी०टी०ई०टी०-२/य०टी०ई०टी०-२ की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है)
- (ङ)- जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।
- (च)- अभ्यर्थी की आयु ०१-०७-२०२० को न्यूनतम २१ वर्ष तथा अधिक से अधिक ४२ वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छू देय होगी।
- (छ)- निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता ४० प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।
- उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

#### प्रमाण पत्र

मैं.....पद.....विद्यालय.....एतदद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु.....पद.....विषय.....को दिनांक.....के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह०-संस्थाध्यक्ष.....

पूरा नाम.....

पद एवं सील.....

- 10-- सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के १५ दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्राधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम् फोटो, शपथ पत्र, मुख्य विकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, पंथ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र १-कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। २-प्रशिक्षण योग्यता एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)
- 11-- कार्यालय आदेश पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)  
 कुमाऊँ मण्डल नियमानुसार

#### अनुबन्ध पत्र

- मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....सहायक अध्यापक.....विद्यालय.....एतदद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूँगा/करूँगी एवं सभी सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूँगा/करूँगी।  
 प्रतिहस्ताक्षरित.....  
 संस्थाध्यक्ष.....
- पूरा नाम.....  
 पद एवं सील.....

# कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (माझीशो) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवायें ३क(२)/अराजा०/

१६७

/२०२२-२३ दिनांक २१ मार्च, २०२३

## विज्ञप्ति / नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-२८/उ०८०से०च०आ०/२०२० दिनांक १३ अक्टूबर, २०२० के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/२६२ २०२३ दिनांक ०३-०२-२०२३ द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन-४६००) नया वेतन मैट्रिक्स-४४९००-१४२४००, लेबल-७ में उनके नाम के समुख स्तम्भ-१० में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित का कोई कलेम/दावा मान्य नहीं होगा।

### ६० प्रतिशत सीधी भर्ती – विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

| क्र. सं. | अभ्यर्थी का नाम      | पिता/पति का नाम   | पता  | श्रेणी/उपश्रेणी                                     | जन्मतिथि   | गृह जनपद     | उच्चतम् शैक्षिक योग्यता           | प्राप्तांक | पदस्थापित विद्यालय का नाम         |
|----------|----------------------|-------------------|--|---|------------|--------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|
| १        | २                    | ३                 | ४  | ५   | ६          | ७            | ८                                 | ९          | १०                                |
| १        | अल्का रानी           | शेर राम           | ग्राम आंवलाकोट पोस्ट कोटाबाग कालाढूंगी नैनीताल                     | अनु०जाति-महिला ८१ / २२.०७.२००५ हल्द्वानी नैनीताल    | ०१.०७.१९९५ | नैनीताल      | एम..एस.सी० जन्तु विज्ञान बी.एड.   | ५२.७५      | रा०इ०का० पैटना, नैनीताल           |
| २        | विनय कुमार           | खुशी लाल          | ग्राम कठुली मदन नेगी पोस्ट मदन नेगी टिहरी गढ़ीवाल                  | अनु०जाति- ३४२ / १०.०८.२००९ टिहरी गढ़वाल             | १५.७.१९९४  | टिहरी गढ़वाल | बी.एस.सी० बी.एड.                  | ५२.५०      | रा०इ०का० माजेहेत, बागेश्वर        |
| ३        | महेन्द्र कुमार गडिया | आनन्द प्रसाद      | देवलधार खर्कटम्टा बागेश्वर   | अनु०जाति- ६३७२ / १८.०१.२०१८ बागेश्वर                | ०१.०६.१९८८ | बागेश्वर     | एम..एस.सी० वनस्पति विज्ञान बी.एड. | ५२.२५      | रा०इ०का० सैंज, बागेश्वर           |
| ४        | राजेन्द्र राम        | जीवन राम          | ग्राम जखेड़ी पोस्ट गणर्इ गंगोली पिथौरागढ़                          | अनु०जाति- ६३२ / २१.०७.२०११ गंगोलीहाट पिथौरागढ़      | २८.७.१९९१  | पिथौरागढ़    | एम..एस.सी० वनस्पति विज्ञान बी.एड. | ५२.२५      | रा०उ०मा०वि० रीठारैतोली, पिथौरागढ़ |
| ५        | दीपिका रानी आर्या    | बुद्धि सागर आर्या | हाउस नम्बर-४४ वैस्ट खेड़ा गोलापार पोस्ट काठगोदाम हल्द्वानी नैनीताल | अनु०जाति- महिला १४२७ / ०८.०९.२०१५ हल्द्वानी नैनीताल | १२.०५.१९९२ | नैनीताल      | एम..एस.सी० रसायन विज्ञान बी.एड.   | ५२.२५      | रा०इ०का० दशौलाबडियार, अल्मोड़ा    |

(लीलाधर व्यास)  
मण्डलीय अपर निदेशक  
(माध्यमिक शिक्षा)  
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ ०२.....

पृष्ठों/सेवाएं-3क(2)/अराजो/

12449-61

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01— सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

02— महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

03— निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

04— सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।

05— सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा०) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।

06— सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकरी।

07— सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।

08— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।

09— सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें—  
(क)— अभ्यर्थी की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अहंता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की भली-भौति जाच कर ली जाय। कियित भी सन्देह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ख)— अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षण अहंता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ग)— अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी/असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मा० न्यायालय में कोई वाद/कलेम प्रस्तुत नहीं करेगा।

(घ)— अभ्यर्थी की शैक्षिक अहंता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014(यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों के अनुसार पद से सम्बन्धित संगत विषय (स०अ०एल०टी०-विज्ञान) हेतु नियमानुसार कर ली जाय—

(1)—भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि।

(2)—किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल०टी० डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी०एड० की उपाधि।

#### अथवा

(1)—एन०सी०ई०आर०टी० के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड कोर्स (B.Sc.Ed) (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो।

(अभ्यर्थी को स०अ०एल०टी०-विज्ञान के पद पर नियुक्ति हेतु सी०टी०ई०टी०-२/य०टी०ई०टी०-२ की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है)

(ङ)— जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।

(च)— अभ्यर्थी की आयु 01-07-2020 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।

(छ)— निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

#### प्रमाण पत्र

मैं ..... पद ..... विद्यालय ..... एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त

समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वाचित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु० ..... पद .....

.....विषय..... को दिनांक..... के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।


ह०—संस्थाध्यक्ष.....

पूरा नाम.....

पद एवं सील.....

10— सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम फोटो, शपथ पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र 1—कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2—प्रशिक्षण योग्यता एन०सी०ई०टी० से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

11— कार्यालय आदेश पंजिका।

  
मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)  
कुमाऊँ मण्डल से भीताल

#### अनुबन्ध पत्र

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... सहायक अध्यापक ..... विद्यालय ..... एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूँगा/करूँगी एवं सगे सम्बन्धित हस्ताक्षर.....  
प्रतिहस्ताक्षरित.....  
संस्थाध्यक्ष.....

नाम.....  
पदनाम.....  
विद्यालय.....

# कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (माठशि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं० / सेवायें ३क(२) / अराज० /

968

/ 2022-23 दिनांक २१ मार्च, 2023

## विज्ञप्ति / नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-28 / उ०अ०स००च०आ० / 2020 दिनांक 13 अक्टूबर, 2020 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक / 262 2023 दिनांक 03-02-2023 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स- ४४९००-१४२४००, लेबल-७ में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-१० में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक / अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित का कोई कलेम/दावा मान्य नहीं होगा।

### 60 प्रतिशत सीधी भर्ती – विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

| क्र. सं. | अभ्यर्थी का नाम   | पिता/पि त का नाम   | पता   | श्रेणी/ उपश्रेणी                                 | जन्मतिथि   | गृह जनपद     | उच्चतम् शैक्षिक योग्यता          | प्राप्तांक | पदस्थापित विद्यालय का नाम    |
|----------|-------------------|--------------------|---|--|------------|--------------|----------------------------------|------------|------------------------------|
| 1        | 2                 | 3                  | 4   | 5  | 6          | 7            | 8                                | 9          | 10                           |
| 1        | मनोज              | श्याम लाल          | ग्राम पाख पोस्ट मैंगधार टिहरी गढ़वाल                | अनु०जाति- ८७० / ९.०७.२००८ घनरयाली टिहरी गढ़वाल   | 20.06.1989 | टिहरी गढ़वाल | बी.एस.सी० बी. एड.                | ५२.००      | रा०उ०मा०वि० बजेता, पिथौरागढ़ |
| 2        | संजय कुमार        | राम लाल            | ग्राम भुमका पोस्ट भुमका धारी नैनीताल                | अनु०जाति- ३२१ / ३०.०४.२००७ धारी नैनीताल          | 30.04.1997 | नैनीताल      | बी.एस.सी० बी. एड.                | ५१.७५      | रा०इ०का० खेला, पिथौरागढ़     |
| 3        | तारा दत्त वारियाल | त्रिलोचन वारियाल   | ब्लाक रोड मल्लीताल भीमताल नैनीताल                   | सामान्य-दिव्यांग ५ / २८.११.२००६ नैनीताल          | 12.06.1993 | नैनीताल      | एम..एस.सी० रसायन विज्ञान बी. एड. | ४८.५०      | रा०इ०का० मण्डलकोट, अल्मोड़ा  |
| 4        | भावना गन्धरिया    | हरीश सिंह गन्धरिया | खीमपुर कठघरिया हल्द्वानी नैनीताल                    | अनुजनजाति ३१ / ७.९.२००७ काण्डा बागेश्वर          | 15.5.1997  | बागेश्वर     | बी.एस.सी० बी. एड.                | ४८.००      | रा०इ०का० चौरलेख, नैनीताल     |
| 5        | प्रिया चौहान      | विनोद कुमार        | मकान नम्बर-७३ रेहमपुर मंदिर के पास जसपुर उधमसिंहनगर | सामान्य-दिव्यांग एम०-३ / ९ २८.१. २००४ उधमसिंहनगर | 10.7.1995  | उधमसिंहनगर   | एम..एस.सी० रसायन विज्ञान बी. एड. | ४५.००      | रा०इ०का० हिनौला, अल्मोड़ा    |

(लीलाधर व्यास)  
मण्डलीय अपर निदेशक  
(माध्यमिक शिक्षा)  
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ ०२.....

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 01— सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 02— महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 03— निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 04— सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।
- 05— सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी (मा०) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
- 06— सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकरी।
- 07— सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
- 08— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
- 09— सम्बन्धित संस्थायक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें—  
(क)— अभ्यर्थी की शैक्षिक / प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अर्हता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की भली—भौति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।  
(ख)— अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक / प्रशिक्षण अर्हता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड / विश्वविद्यालय / संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।  
(ग)— अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी / असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मा० न्यायालय में कोई वाद / कलेम प्रस्तुत नहीं करेगा।  
(घ)— अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधिकानों के अनुसार पद से सम्बन्धित संगत विषय (स०आ०एल०टी०-विज्ञान) हेतु नियमानुसार कर ली जाय—  
(१) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि।  
(२) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान / महाविद्यालय से एल०टी० डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी०एड० की उपाधि।

## अथवा

- (१)— एन०सी०इ०आर०टी० के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड कोर्स (B.Sc.Ed) (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो।  
(अभ्यर्थी को स०आ०एल०टी०-विज्ञान के पद पर नियुक्ति हेतु सी०टी०इ०टी०-२ / यू०टी०इ०टी०-२ की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है)

(ङ)— जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल / स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।

(च)— अभ्यर्थी की आयु ०१-०७-२०२० को न्यूनतम २१ वर्ष तथा अधिक से अधिक ४२ वर्ष होनी चाहिए। आक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।

(छ)— निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता ४० प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण / सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटी डाक से अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

## प्रमाण पत्र

मैं.....पद.....विद्यालय.....एतद्वारा घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी श्री / श्रीमती / कु०.....पद.....विषय.....को दिनांक.....के पूर्वान्ह / अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह०—संस्थायक्ष्य

पूरा नाम.....

पद एवं सील.....

- 10— सम्बन्धित अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के १५ दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्थल: ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक / अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम फोटो, शपथ पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वारक्ष्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति / पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ / राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र १-कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। २-प्रशिक्षण योग्यता एन०सी०टी०इ० से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसर्गति / अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

11— कार्यालय आदेश पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)  
 कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

## अनुबन्ध पत्र

मैं.....पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री .....सहायक अध्यापक .....विद्यालय.....एतद्वारा घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि मैंने स्थानान्तरण नीति का पालन करूँगा / करूँगी एवं सगे सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूँगा / करूँगी।

प्रतिहस्ताक्षरित.....  
नाम.....  
पदनाम.....  
विद्यालय.....

संस्थायक्ष्य.....  
नाम.....  
पदनाम.....  
विद्यालय.....